

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2309]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2014/कार्तिक 21, 1936

No. 2309]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2014/KARTIKA 21, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2014

का. आ. 2884(अ).—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, डा. हसमुख अधिया, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को श्री गुरदयाल सिंह संधू के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक उक्त निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 14/3/2003-बीमा-IV]

एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2014

S.O. 2884(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Dr. Hasmukh Adhia, Secretary, Department of Financial Services as Member of the said Corporation *vice* Shri Gurdial Singh Sandhu, with immediate effect till further orders.

[F. No. 14/3/2003-Ins.IV]

N. SRINIVASA RAO, Director (Insurance)